

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2376 / 2008 / बून्दी

मैसर्स दी एसोसिएटेड सीमेन्ट कं. लि.  
लाखेरी, जिला बून्दी

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
एन्टी-ईवेज़न, राजस्थान-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या - 74 / 2009 / बून्दी

सहायक आयुक्त,  
एन्टी-ईवेज़न, राजस्थान-प्रथम, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दी एसोसिएटेड सीमेन्ट कं. लि.  
लाखेरी, जिला बून्दी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरना,

उप राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से

दिनांक : 04 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपील संख्या 2376 / 2008 / बून्दी, अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे 'व्यवहारी' कहा जायेगा) द्वारा तथा अपील संख्या 74 / 2009 / बून्दी, सहायक आयुक्त, एन्टी-ईवेज़न, राजस्थान-प्रथम, जयपुर द्वारा पेश की गई है। उक्त अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 1 / ई.टी. / 2008-09 / बून्दी / प्रवेश कर, में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.10.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश में वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टी-ईवेज़न, राजस्थान प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 12(4) के तहत पारित किये गये व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित प्रवेश कर की पुष्टि की है तथा धारा 17(2) तथा 12(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।





निरन्तर.....2

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2003-04 हेतु व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न्स ETLA-3 तथा वार्षिक रिटर्न्स ETLA-5 में प्रवेश कर प्रयोजनार्थ कर योग्य माल की क्रय कीमत में उसके द्वारा खरीद के समय चुकाये गये विभिन्न करों एवं माल परिवहन के भाड़े की राशि को सम्मिलित नहीं किया था, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु व्यवहारी का प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(4) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.03.2008 को सम्पूरित करते हुए राज्य के बाहर से प्रवेश कर योग्य अधिसूचित वस्तुओं- Furnace Oil and LDO आदि माल राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में आयात किये जाने पर इनके समग्र क्रय मूल्य पर प्रवेश कर रुपये 14,28,969/-, धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 26,400/- तथा धारा 12(5) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 3,45,238/- का आरोपण किया गया है। आरोपित कर की कुल राशि में रुपये 2,30,159/- का कर आयातित माल पर चुकाये गये विभिन्न करों एवं माल भाड़े से सम्बन्धित क्रय मूल्य के भाग पर आरोपित किया गया था एवं साथ ही उक्त राशि राजकोष में जमा नहीं होने के कारण धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 26,400/- तथा रुपये 2,30,159/- का कर दायित्व तथाकथित रूप से छुपाने के कारण धारा 12(5) के अन्तर्गत रुपये 3,45,238/- का शास्ति आरोपण भी किया गया है।
3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने करारोपण की पुष्टि करते हुए धारा 12(5) एवं 17(2) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। प्रस्तुत अपीलों में व्यवहारी द्वारा विवादित अपीलीय आदेश में प्रवेश कर की पुष्टि किये जाने को चुनौती दी गई वहीं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों में शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को चुनौती दी गई है।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील आधारों में यद्यपि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता को विवादित किया था परन्तु कालान्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी संवैधानिकता की पुष्टि कर दिये जाने के कारण इस बिन्दु पर बल नहीं देना चाहते हैं, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये अतिरिक्त करारोपण जो खरीदे गये माल पर चुकाये गये केन्द्रीय बिक्री कर आदि तथा उक्त माल परिवहन करने के सम्बन्ध में चुकाये गये फ्रेट इंश्योरेन्स की राशि पर किया गया था, को अपास्त करने की प्रार्थना की। आगे उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 12(5) एवं 17(2) की शास्तियों को सही अपास्त किया गया है, अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।
5. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रवेश कर की संवैधानिकता की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि० एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य निर्णय






निरन्तर.....3

दिनांक 11.11.2016 में की जा चुकी है, अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। 'कर योग्य माल के क्रय मूल्य' के बिन्दु पर उनका कथन है कि "Taxable Purchase Value of Goods" की परिभाषा अधिनियम में दी गई है जिसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क एवं अन्य खर्च शामिल हैं, अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया। उनका यह भी कथन है कि चूंकि व्यवहारी द्वारा देय कर का समय पर भुगतान नहीं किया गया है अतः धारा 17(2) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण उचित है एवं व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से लाये गये कर योग्य माल की कीमत में कर, शुल्क एवं अन्य खर्च शामिल नहीं कर प्रस्तुत रिटर्न्स में गलत घोषणा कर करवंचना का प्रयास किया है, अतः धारा 12(5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति पूर्णरूपेण उचित है, जिन्हें अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है, अतः इस बिन्दु पर विभागीय अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
7. प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद का बिन्दु प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता के सम्बन्ध में है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि० एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य AIR 2016 SC 5617:(2017) 12 SCC 1 के प्रकरण में दिये गये निर्णय में उक्त अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि कर दी गई है एवं व्यवहारी की ओर से भी अब इस बिन्दु पर बल नहीं दिया गया है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।
8. अन्य विवादित बिन्दु यह है कि राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाये जाने वाले माल पर चुकाये गये Central Sales Tax तथा Transportation Expenses को क्या प्रवेश कर प्रयोजनार्थ 'माल के कर योग्य क्रय मूल्य' का भाग माना जायेगा अथवा नहीं तथा; द्वितीयतः, क्या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 12(5) एवं 17(2) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण उचित था? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 'माल का कर योग्य क्रय मूल्य' वह सम्पूर्ण राशि है जो माल के राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय तक भुगतान/वहन की गयी है। प्रवेश कर अधिनियम में दी गयी परिभाषाओं के अन्तर्गत कर योग्य खरीद मूल्य की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

**"2(r) "taxable purchase value of the goods" shall mean the purchase price at which a dealer has purchased the goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling commission, insurance, taxes, duties and the like, or if such goods have not been purchased by him, the prevailing market price of such goods in the local area;"**





निरन्तर.....4

उक्त परिभाषा के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि कर योग्य माल के क्रय मूल्य में व्यवहारी द्वारा माल की खरीद के सम्बन्ध में वहन किये गये सभी प्रकार के खर्च एवं कर शामिल है, अतः प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'कर योग्य माल के क्रय मूल्य' में व्यवहारी द्वारा चुकाये गये करों एवं वहन किये गये अन्य खर्चों को शामिल करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

9. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Hansa Corporation (1981) AIR 463 : 1983 SCR (1) 823** के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि प्रवेश कर राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के समय उसकी कीमत पर देय है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:-

*"...The taxing event is the entry of scheduled goods into a local area. The tax becomes payable on the entry of scheduled goods in a local area. Therefore, the price of the scheduled goods at the time of entry paid by the dealer who is the importer of goods within the scheduled area would be the ad valorem price on the basis of which tax would be computed. No subsequent rise or fall in price has any relevance to the computation of the tax."*

10. उक्त विवेचित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णीत किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल की खरीद के समय चुकाये गये केन्द्रीय बिक्री कर (CST) की राशि तथा माल के परिवहन के सम्बन्ध में चुकाये गये भाड़े, खर्च इत्यादि 'Taxable Purchase Value of the Goods' का हिस्सा होने के कारण इन्हें शामिल करते हुए समग्र क्रय मूल्य पर प्रवेश कर का आरोपण विधिसम्मत है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आरोपण की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत होने से इस सम्बन्ध में व्यवहारी की अपील अस्वीकार योग्य है।
11. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण सम्पूरित करते समय व्यवहारी द्वारा राजकोष में जमा नहीं करवाई गई कर राशि पर धारा 17(2) के अन्तर्गत रूपये 26,400/- का जो शास्ति आरोपण किया गया है वह तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार विधिसम्मत है क्योंकि वर्ष 2003-04 में कर राशि विलम्ब से जमा होने की दशा में ब्याज के विशिष्ट प्रावधान नहीं थे तथा कर जमा नहीं होने या कम जमा होने की दशा में धारा 17(2)(ii) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण के प्रावधान विद्यमान थे, जो निम्नानुसार हैं:-

*"(2) If default is made in making payment in accordance with sub-section (1),-*

- (i) the whole of the amount outstanding on the date of default shall become immediately due and shall be a*

निरन्तर.....5

31